न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 26/2020
सी.सी.एम.एस. : 2020/00317

1. सुल्तानराम पुत्र रामरख जाति बावरी निवासी 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरख जाति बावरी निवासी 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री आर.आर. ओझा, वकील प्रार्थी
2. श्री हेतराम बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक : 09.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 एसएडी के मु.नं. 31 प.नं. 177/342 के कि.नं. 4/1 में 2 बिस्वा यानि 0.025है. रास्ता खोलने/स्वीकृत करने का आशय रखता हैं। रास्ता के जरिए पक्षकारान आपसी सहमति से अपने अपने रकबा में आ जा रहे हैं, इस संबंध में हम पक्षकारान के पिता व प्रार्थी के मध्य दिनांक 27.09.2012 को रोबरू गवाहान तहरीर होकर निष्पादित हुई हैं। ओमप्रकाश की भी सहमति रही हैं तथा अप्रार्थी ओमप्रकाश ने बतौर गवाह लिखापढी में अपने हस्ताक्षर भी किये हैं। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि चक 8 एसएडी के खाता सं. 119/98 मु.नं. 31 प.नं. 177/342 की 2.455है. नहरी खातेदारी में पंहुचने, काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने व फसल लाने हेतु व अपनी ढाणी कि.नं. 3 में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 एसएडी के मु.नं. 31 प.नं. 177/342 के कि.नं. 4 में 2 बिस्वा यानि 0.025है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से रिकार्ड/मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मु.नं. 31 के कि.नं. 4/1 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हैं व ना ही पूर्व में इस किले में रास्ता चालू रहा हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2012 की लिखत प्रार्थी के पिता द्वारा की जानी बतायी है, ऐसी लिखत प्रार्थी प्रार्थी के पिता के द्वारा नहीं की गयी थी। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 31 के कि.नं. 3 में ढाणी बनी बतायी हैं, वह ढाणी प्रार्थी की नहीं है प्रार्थी के पुत्र द्वावरा प्रसाद की हैं जिसमें द्वारका प्रसाद रहता हैं। प्रार्थी चक 19 एनपी आबादी में अपने पुत्र रणजीत के साथ रहता हैं। प्रार्थी के नाम चक 8 एसएडी के मु.नं. 31 के कि.नं. 2/1—3—4/1 की भूमि को सम्मिलित करते हुये इस मुरब्बा में 2.455है. भूमि हैं इस मुरब्बा के चिपती उतर दिशा में 19 एनपी की आबादी हैं 19 एनपी की आबादी में कि.नं. 2 व 3 के चिपती हुई भूमि आबादी में प्रार्थी ने अपना रिहायशी मकान बना रखा हैं जिसका दरवाजा कि.नं. 2 व 3 में खुलता हैं। इस भूमि में आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता हैं, इसलिए प्रार्थी को नया रास्ता की आवश्यक्ता नहीं हैं। अप्रार्थी के नाम कि.नं. 4 की भूमि के चिपता उतर दिशा में 19 एनपी की आबादी में अप्रार्थी का नोहरा बना कर चारदीवारी की हुई हैं, इस नोहरा में से अप्रार्थी अपेन चिपती भूमि में आना जाना करता हैं। अप्रार्थी के कि.नं. 4/1 के पास पंहुचने के लिए कोई रास्ता मंजूरशुदा नहीं [illegible] 4/1 की भूमि के चिपता उतर दिशा में अप्रार्थी का आबादी का रिहायशी प्लाट हैं [illegible] उपयोग व उपभोग में ले रहा है, उसमें कोई रास्ता नहीं हैं। अप्रार्थी नोहरा में से अपने [illegible] कि.नं. 4/1 में जाता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 265 दिनांक 22.02.20[illegible] के अनुसार प्रार्थी की भूमि के चिपती उतरी दिशा में चक 8 एसएडी की आबादी भूमि हैं, कि प्रार्थी की भूमि कि.नं. 2/1 व 3 के चिपती हुई हैं। प्रार्थी की मांग हैं कि अप्रार्थी ओमप्रकाश के नाम दर्ज प.नं. 177/342 मु.नं. 31 के कि.नं. 4/2 में से उतरी पासा में 0.025है. रास्ता स्वीकृत किया जावे। वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हेतु स्वीकृत रास्ता

उपखण्ड अधिकारी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्ड में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी के रकबा के पश्चिम दिशा में प.नं. 177/342 मु.नं. 31 कि.नं. -10-11-20-21 प्रत्येक में 0.025है. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा मौके पर चालू हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 एसएडी के मु.नं. 31 प.नं. 177/342 के कि.नं. 4 में से अपनी भूमि में आ जा रहे थे। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं हैं। अतः प्रार्थना स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के नाम कि.नं. 4 की भूमि के चिपता उतर दिशा में 19 एनपी की आबादी में अप्रार्थी का नोहरा बना कर चारदीवारी की हुई हैं, इस नोहरा में से अप्रार्थी अपेन चिपती भूमि में आना जाना करता हैं। अप्रार्थी के कि.नं. 4/1 के पास पंहुचने के लिए कोई रास्ता मंजूरशुदा नहीं हैं, कि.नं. 4/1 की भूमि के चिपता उतर दिशा में अप्रार्थी का आबादी का रिहायशी प्लाट हैं जो अप्रार्थी उपयोग व उपभोग में ले रहा है। 19 एनपी की आबादी में कि.नं. 2 व 3 के चिपती हुई भूमि आबादी में प्रार्थी ने अपना रिहायशी मकान बना रखा हैं जिसका दरवाजा कि.नं. 2 व 3 में खुलता हैं। इस भूमि में आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। अतः प्रार्थी को रास्ता की आवश्यक्ता नहीं हैं। अप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में विवादित रकबा का स्वयं द्वारा दिनांक 05.03.2021 को मौका निरीक्षण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मौका निरीक्षण एवं रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं हैं। अतः प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 एसएडी के मु.नं. 31 प.नं. 177/342 के कि.नं. 4 में 2 बिस्वा यानि 0.025है. उतरी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को रास्ता में आई भूमि के बदले मुआवजा के तौर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशी अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से मुआवजा राशी जमा कर नियमानुसार अप्रार्थी को भुगतान करें तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner